एलआईसी का निवेश प्लस सेल्स ब्रोशर

एलआईसी का निवेश प्लस
(UIN: 512L317V02)
(एक असहभागी, संबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना)

इस पॉलिसी में, निवेश पोर्टफोलियो में निवेश संबंधी जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाता है।

यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पादों से अनुबंध के पहले पाँच वर्षों के दौरान कोई तरलता नहीं मिलती है। पॉलिसीधारक पाँचवें वर्ष के अंत तक यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पादों में निवेश की गई धनराशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से न तो अभ्यर्पित कर पाएंगे, न ही निकाल पाएंगे।

एलआईसी की निवेश प्लस एक असहभागी, एकल प्रीमियम, संबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना है। एकल प्रीमियम के भुगतान पर, यह योजना पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान बीमा के साथ बचत की सुविधा प्रदान करती है।

आप यह योजना लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, ब्रोकरों, बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफ़लाइन खरीदने के साथ ही वेबसाइट www.licindia.in. के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- हितलाभ:
  > पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमा सुरक्षा।
  > निर्दिष्ट पॉलिसी अवधि के अंत में एकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीड अभिवृद्धि यूनिट फंड में जुड़ जाएगी और इसका उपयोग यूनिट खरीदने के लिए किया जाएगा।
- चुनने की सुविधा:
  > अपनी ज़रूरतों के अनुसार बीमा राशि का प्रकार।
  > अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार प्रीमियमों का निवेश करने के लिए निवेश फंड का प्रकार।
  > नीचे अनुच्छेद 1 में निर्दिष्टानुसार प्रवेश के समय आयु के अधीन एकल प्रीमियम की 1.25 या 10 गुना मूल बीमा राशि।
  > प्रीमियम की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अधीन देय प्रीमियम की राशि, पॉलिसी अवधि, नीचे अनुच्छेद 1 में निर्दिष्टानुसार पॉलिसी अवधि और परिपक्वता आयु।
  > या तो एकमुश्त या किस्तों में मृत्यु हितलाभ के निपटान की विधि।
- नीचे अनुच्छेद 4 में निर्दिष्टानुसार निर्दिष्ट तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंशिक निकासी की अनुमति।
- एलआईसी के संबद्ध एक्सीडेंट बेनफिट राइडर का विकल्प चुनकर बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।

1. पात्रता संबंधी शर्तें और अन्य प्रतिबंध

ए) न्यूनतम/अधिकतम मूल बीमा राशि:

विकल्प 1 के अंतर्गत : एकल प्रीमियम का 1.25 गुना
विकल्प 2 के अंतर्गत : एकल प्रीमियम का 10 गुना

बी)	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	: विकल्प 1 और 2 के लिए [90] दिन (पूर्ण)
सी)	प्रवेश के समय अधिकतम आयु	: विकल्प 1 के लिए [70] वर्ष (निकटतम जन्मदिन) विकल्प 2 के लिए [35] वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
डी)	परिपक्वता के समय न्यूनतम आयु	: [18] वर्ष पूर्ण
ई)	परिपक्वता के समय अधिकतम आयु	: विकल्प 1 के लिए [85] वर्ष (निकटतम जन्मदिन) विकल्प 2 के लिए [50] वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
एफ)	पॉलिसी अवधि	:

विकल्प 1: यदि मूल बीमा राशि एकल प्रीमियम की 1.25 गुना है	**विकल्प 2:** यदि मूल बीमा राशि एकल प्रीमियम की 10 गुना है		
	प्रवेश के समय 25 वर्ष तक की आयु के लिए	प्रवेश के समय 26 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए	प्रवेश के समय 31 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए
10 से 25 वर्ष	10 से 25 वर्ष	10 से 20 वर्ष	10 वर्ष

जी)	प्रीमियम भुगतान की विधी	: केवल एकल प्रीमियम
एच)	न्यूनतम प्रीमियम	: रु. 1,25,000/-
आय)	अधिकतम प्रीमियम	: कोई सीमा नहीं प्रीमियम रु. 5,000/- के गुणकों में देय होगी।

योजना के अंतर्गत जोखिम प्रारंभ होने की तिथि:

यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश के समय आयु 8 वर्ष से कम है, तो इस प्लान के अंतर्गत जोखिम या तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष पूरा होने पर या 8 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके ठीक बाद पड़ने वाली पॉलिसी की वर्षगाँठ पर, जो भी पहले हो, शुरू होगा। यदि बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष या उससे अधिक है, तो जोखिम की स्वीकृति की तिथि, अर्थात पॉलिसी आरंभ होने की तिथि से जोखिम तुरंत आरंभ हो जाएगा।

निहित होने की तिथि:

यदि पॉलिसी अवयस्क जीवन पर जारी की गई है, तो पॉलिसी ऐसी निहित होने की तिथि, अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ पर स्वतः ही बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी और निहित होने की ऐसी तिथि पर निगम और बीमित व्यक्ति के बीच अनुबंध मानी जाएगा।

2. पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ

ए) मृत्यु हितलाभ:

जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से पहले मृत्यु पर:

मृत्यु की सूचना की तिथि तक की स्थिति के अनुसार यूनिट फंड मूल्य के बराबर राशि देय होगी।

जोखिम प्रारंभ होने की तिथि के बाद मृत्यु पर:

निम्नलिखित में से उच्चतम के बराबर राशि देय होगी:

- मृत्यु की तिथि से ठीक पहले दो वर्षों की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासियों, यदि कोई हो, को घटाकर मूल बीमा राशि; या
- यूनिट फंड मूल्य।

जहाँ मूल बीमा राशि और आंशिक निकासी क्रमशः अनुच्छेद 4(V) और अनुच्छेद 4(II) में निर्दिष्टानुसार है।

मृत्युदर शुल्क, दुर्घटना हितलाभ शुल्क और मृत्यु की तिथि के पश्चातवर्ती वसूले गए इन पर कर प्रभार का भुगतान मृत्यु हितलाभ के साथ नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को किया जाएगा।

मृत्यु की तिथि के बाद जोड़ी गई कोई भी निश्चित अनुवृद्धि यूनिट फंड से वसूल की जाएगी।

मृत्यु हितलाभ का भुगतान या तो ऊपर निर्दिष्टानुसार एकमुश्त किया जाएगा या किस्तों में किया जाएगा, यदि निपटान विकल्प चुना गया है, जैसा नीचे अनुच्छेद 4.IV में उल्लेख किया गया है, जो पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार होगा।

बी) परिपक्वता हितलाभ:

बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की तिथि तक जीवित रहने पर, परिपक्वता की तिथि पर यूनिट फंड मूल्य के बराबर राशि देय होगी।

3. निश्चित अभिवृद्धियाँ

नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित एकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में निश्चित अभिवृद्धियाँ, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है, पॉलिसी वर्षों की विशिष्ट अवधि पूरा होने पर यूनिट फंड में जोड़ दी जाएँगी।

पॉलिसी वर्ष की समाप्ति	निश्चित अभिवृद्धियाँ (एकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)
6	3%
10	4%
15	5%
20	6%
25	7%

आवंटित निश्चित अभिवृद्धियों को ऐसे अभिवृद्धि की तिथि पर अंतर्निहित फंड प्रकार के एनएवी के आधार पर इकाइयों की संख्या में परिवर्तित किया जाएगा और निश्चित अभिवृद्धि के भुगतान की नियत तिथि पर चुने गए फंड प्रकार में जमा किया जाएगा।

हालाँकि, मृत्यु की तिथि के बाद जोड़ी गई किसी भी निश्चित अभिवृद्धि को यूनिट फंड से वसूल किया जाएगा।

4. वैकल्पिक हितलाभ

I. राइडर हितलाभ:

आपके पास एलआईसी के संबद्ध एक्सीडेंट बेनफिट राइडर (UIN: 512A211V02) का लाभ उठाने का विकल्प है।

यह राइडर किसी भी पॉलिसी वर्षगाँठ पर, बशर्ते कि शेष पॉलिसी अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन पॉलिसी की उस वर्षगाँठ पर या उससे पहले चुना जा सकता है, जिस दिन बीमित व्यक्ति की उसके निकटतम जन्मदिन पर आयु 65 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा सुरक्षा परिपक्वता की तिथि तक या पॉलिसी

वर्षगाँठ तक, जो भी पहले हो, उपलब्ध होगा, जिस दिन बीमित व्यक्ति की उसके निकटतम जन्मदिन पर आयु 70 वर्ष हो। यदि यह राइडर चुना जाता है, तो दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में, मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। यह राइडर पॉलिसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान अवयस्क के जीवन पर उपलब्ध नहीं होगा।

दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि मूल बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

उपरोक्त राइडर के संबंध में अधिक जानकारी के लिए राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

II. **आंशिक निकासियाँ:**

आप पांचवीं पॉलिसी वर्षगांठ के बाद किसी भी समय यूनिटों की आंशिक रूप से निकासी कर सकता है, जो निम्नांकित के अधीन है:

i. अवयस्कों की स्थिति में, बीमित व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाने के बाद ही आंशिक निकासी की अनुमति दी जाएगी।

ii. आंशिक निकासी निश्चित राशि के रूप में या निश्चित संख्या में यूनिट्स के रूप में हो सकती है।

iii. प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के दौरान फंड के प्रतिशत के रूप में आंशिक निकासी की अधिकतम राशि निम्नानुसार होगी:

पॉलिसी वर्ष	यूनिट फंड का प्रतिशत
6वाँ से 10वाँ	15%
11वाँ से 15वाँ	20%
16वाँ से 20वाँ	25%
21वाँ से 25वाँ	30%

उपरोक्त आंशिक निकासी की अनुमति भुगतान की गई एकल प्रीमियम के बराबर न्यूनतम शेष राशि के अधीन प्रदान की जाएगी। ऐसी आंशिक निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध की समाप्ति होती हो।

iv. अनुच्छेद 7.डी.(iii) में निर्दिष्टानुसार आंशिक निकासी प्रभार यूनिट फंड मूल्य से काटा जाएगा।

यदि आंशिक निकासी की गई है तो निकासी की तिथि से तत्काल दो वर्ष की अवधि के लिए मूल बीमा राशि आंशिक निकासी की राशि की सीमा तक कम कर दी जाएगी। निकासी की तिथि से दो वर्ष की अवधि पूरी होने पर मूल मूल बीमा राशि बहाल कर दी जाएगी।

III. **स्विचिंग:**

आपके पास पॉलिसी अवधि के दौरान चार फंड प्रकारों के बीच स्विचिंग करने का विकल्प है। स्विचिंग करने पर संपूर्ण फंड मूल्य चुने गए नए फंड में परिवर्तित हो जाएगा। स्विचिंग अनुच्छेद 7.डी.(ii) में निर्दिष्टानुसार स्विचिंग शुल्क के अधीन होगी।

IV. **निपटान विकल्प:**

यह किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प है। पॉलिसी की अवधि के दौरान इस विकल्प का पॉलिसीधारक द्वारा बीमाधारक की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमाधारक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें किस्त की विधी और वर्षों में अवधि (5 वर्ष से अधिक नहीं) निर्दिष्ट की जाती है। मृत्यु दावा राशि का भुगतान तब चुने गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति

को इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु की सूचना की तिथि पर विद्यमान फंड प्रकार के अनुसार यूनिट फंड का निवेश जारी रहेगा।

प्रत्येक किस्त मृत्यु की सूचना की तिथि पर यूनिटों की कुल संख्या को किस्तों की कुल संख्या से विभाजित कर निकाली जाएगी। प्रत्येक किस्त के संबंध में निकाली गई यूनिटों की संख्या को किस्त भुगतान की तिथि पर लागू फंड प्रकार के एनएवी से गुणा कर प्रत्येक किस्त में भुगतान की गई राशि निकाली जाएगी और यूनिट फंड से यूनिटों को भुनाकर भुगतान की जाएगी। पहला भुगतान मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुरूप किया जाएगा और उसके बाद चुनी गई विधि के आधार पर किया जाएगा।

निपटान विकल्प अवधि के दौरान निधि प्रबंधन प्रभार के अलावा कोई शुल्क नहीं काटा जाएगा। निर्दिष्ट तिथि पर देय किस्त का मूल्य निवेश जोखिम के अधीन होगा अर्थात् फंड निष्पादन के आधार पर एनएवी में उतार–चढ़ाव हो सकता है। निपटान अवधि के दौरान निवेश जोखिम नामिति/लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। निपटान अवधि के दौरान कोई जोखिम कवर या निश्चित हितलाभ नहीं होगा।

निपटान विकल्प अवधि प्रारंभ होने के बाद नामिति की मृत्यु पर, यूनिट फंड में रखी गई बकाया यूनिट्स का मूल्य कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त देय हो जाएगा।

निपटान विकल्प की निर्वहन अवधि के दौरान नामिति द्वारा आंशिक निकासी या फंड की अदला–बदली करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

V. मूल बीमा राशि विकल्प:

आपको आरंभ में मूल बीमा राशि चुनने की सुविधा मिलती है।

बीमा राशि के विकल्प इस प्रकार हैं:

विकल्प 1: एकल प्रीमियम का 1.25 गुना;

विकल्प 2: एकल प्रीमियम का 10 गुना

चुन लिए जाने के बाद यह विकल्प बदला नहीं जा सकता है।

5. फंड का निवेश

यूनिट फंड:

आवंटित प्रीमियम का उपयोग पॉलिसीधारक द्वारा उपलब्ध चार फंड प्रकार विकल्पों में से चयनित फंड प्रकार के अनुसार यूनिट खरीदने के लिए किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के फंड विकल्प और मोटे तौर पर उनके निवेश पैटर्न इस प्रकार हैं:

फंड का प्रकार	सरकारी/सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूतियों/ कॉर्पोरेट ऋण में निवेश	अल्पकालिक निवेश जैसे कि मुद्रा बाजार की लिखतें	सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश	उद्देश्य	जोखिम रूपरेखा	एसएफआईएन
बॉन्ड फंड	60% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	शून्य	मुख्य रूप से निश्चित आय प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से आय संचय के माध्यम से अपेक्षाकृत सुरक्षित और कम अस्थिर निवेश विकल्प प्रदान करना।	**कम जोखिम**	ULIF00124/ 12/18LICULIP BND512
सेक्योर फंड	45% से कम नहीं और 85% से अधिक नहीं	40% से अधिक नहीं	15% से कम नहीं और 55% से अधिक नहीं	इक्विटी और निश्चित आय प्रतिभूतियों दोनों में निवेश के माध्यम से स्थिर आय प्रदान करना।	**कम से मध्यम जोखिम**	ULIF00224 /12/18LI CULIPSEC512
बैलेंस्ड फंड	30% से कम नहीं और 70% से अधिक नहीं	40% से अधिक नहीं	30% से कम नहीं और 70% से अधिक नहीं	इक्विटी और निश्चित आय प्रतिभूतियों, दोनों में समान अनुपात में निवेश के माध्यम से संतुलित आय और वृद्धि प्रदान करना।	**मध्यम जोखिम**	ULIF00324 /12/18LICU LIPBAL512
ग्रोथ फंड	20% से कम नहीं और 60% से अधिक नहीं	40% से अधिक नहीं	40% से कम नहीं और 80% से अधिक नहीं	मुख्यतः इक्विटी में निवेश के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि प्रदान करना।	**अत्यधिक जोखिम**	ULIF00424 /12/18LICU LIPGRW512

पॉलिसीधारक के पास उपरोक्त 4 में से किसी एक फंड को चुनने का विकल्प होता है।

बंद पॉलिसी फंड (एसएफआईएन : ULIF001201114LICDPFNLIF512):

यह फंड एक पृथक यूनिट फंड होगा और इसमें यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा उत्पादों के अंतर्गत प्रस्तुत सभी पॉलिसियों के सभी बंद पॉलिसी फंड शामिल होंगे।

बंद पॉलिसी फंड के निवेश पैटर्न में निम्नलिखित परिसंपत्ति मिश्रण होगा:

परिसंपत्ति का प्रकार	रेंज (% में)
मुद्रा बाज़ार लिखत	0% से 40%
शासकीय प्रतिभूतियाँ	60% से 100%

यदि निम्नलिखित में से कोई भी फंड, जो इस उत्पाद से संबद्ध हैं, और निगम के बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं, **आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त एवं निवेश प्रकार्य) विनियम, 2024 के अनुलग्नक INV-I के विनियम 8, जो इसके अंतर्गत जारी मुख्य परिपत्र** – निवेश के साथ पठित है, का अनुपालन नहीं करते हैं, तो पॉलिसीधारक को निम्नांकित फंडों में नि:शुल्क स्विच करने की सुविधा दी जाएगी।

i) फंड का नाम : बॉन्ड फंड, एसएफआईएन नंबर: ULIF00124/12/18LICULIPBND512 (कम जोखिम)

निम्नलिखित में से किसी एक फंड में निःशुल्क स्विच की अनुमति होगी:

फंड का नाम	एसएफआईएन	जोखिम रूपरेखा
सेक्योर फंड	ULIF00224/12/18LICULIPSEC512	कम से मध्यम जोखिम
बैलेंस्ड फंड	ULIF00324/12/18LICULIPBAL512	मध्यम जोखिम

ii) फंड का नाम : सेक्योर फंड, एसएफआईएन नंबर:ULIF00224/12/18LICULIPSEC512 (कम से मध्यम जोखिम)

निम्नलिखित में से किसी एक फंड में निःशुल्क स्विच की अनुमति होगी:

फंड का नाम	एसएफआईएन	जोखिम रूपरेखा
बॉन्ड फंड	ULIF00124/12/18LICULIPBND512	कम जोखिम
बैलेंस्ड फंड	ULIF00324/12/18LICULIPBAL512	मध्यम जोखिम

iii) फंड का नाम : बैलेंस्ड फंड, एसएफआईएन नंबर:ULIF00324/12/18LICULIPBAL512 (मध्यम जोखिम)

निम्नलिखित में से किसी एक फंड में निःशुल्क स्विच की अनुमति होगी:

फंड का नाम	एसएफआईएन	जोखिम रूपरेखा
सेक्योर फंड	ULIF00224/12/18LICULIPSEC512	कम से मध्यम जोखिम
ग्रोथ फंड	ULIF00424/12/18LICULIPGRW512	अत्यधिक जोखिम

iv) फंडकानाम:ग्रोथफंड,एसएफआईएननंबर:ULIF00424/12/18LICULIPGRW512, (अत्यधिक जोखिम)

निम्नलिखित में से किसी एक फंड में निःशुल्क स्विच की अनुमति होगी:

फंड का नाम	एसएफआईएन	जोखिम रूपरेखा
सेक्योर फंड	ULIF00224/12/18LICULIPSEC512	कम से मध्यम जोखिम
बैलेंस्ड फंड	ULIF00324/12/18LICULIPBAL512	मध्यम जोखिम

फंड समापन:

हालाँकि फंड की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, हम आईआरडीएआई की पूर्व अनुमति से किसी भी विद्यमान फंड का समापन कर सकते हैं। आपको फंड समापन से कम से कम 3 महीने पहले सूचित किया जाएगा। आप इन 3 महीनों के दौरान बिना स्विचिंग प्रभारों के अन्य विद्यमान फंड विकल्पों में स्विचिंग की जा सकती है। यदि आप इस अवधि के दौरान

स्विचिंग नहीं की जाती है, तो निगम द्वारा स्विचिंग की तिथि तक की स्थिति के अनुसार एनएवी का ध्यान रखते हुए, यूनिट्स की सदृश परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम उठाने की तत्परता और क्षमता वाले किसी अन्य फंड से स्विचिंग की जाएगी।

6. यूनिट मूल्य की गणना की विधि

आवंटन की तिथि पर संबंधित फंड के नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के आधार पर यूनिटों का आवंटन किया जाएगा। कोई बोली–प्रस्ताव प्रसार नहीं है (यूनिटों का बोली मूल्य और प्रस्ताव मूल्य एनएवी के बराबर होगा)। एनएवी की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी और यह निवेश संबंधी निष्पादन, प्रत्येक फंड प्रकार के फंड प्रबंधन प्रभार पर आधारित होगा और इसकी निम्नानुसार गणना की जाएगी:

फंड द्वारा रखे गए निवेश का बाजार मूल्य + वर्तमान आस्तियों का मूल्य – वर्तमान देयताओं और प्रावधानों, यदि कोई हो, का मूल्य

मूल्यांकन की तिथि पर विद्यमान यूनिट्स की संख्या (यूनिट्स जारी/मोचन से पहले)

शुद्ध आस्ति मूल्य की अनुप्रयोज्यता:

i. विभिन्न लेनदेनों के लिए यूनिट्स का आवंटन और मोचन एनएवी पर होगा जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:

लेन–देन का प्रकार	लागू एनएवी (जहाँ लेनदेन कट–ऑफ समय से पहले प्राप्त होता है)
एकल प्राप्त प्रीमियम: • ऑफलाइन विक्रय की स्थिति में: जहाँ प्रीमियम प्राप्त होती है, उस स्थान पर सममूल्य पर देय स्थानीय चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। • ऑनलाइन विक्रय की स्थिति में: किसी भी डिजिटल भुगतान विधि द्वारा।	जोखिम के जोखिमांकन स्वीकृति की तिथि अर्थात पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि की एनएवी।
आंशिक निकासी, उपलब्ध फंड प्रकारों के बीच स्विचिंग या निशुल्क–अवलोकन निरस्तीकरण	ऑनलाइन या लिखित रूप से हमारे द्वारा अनुरोध प्राप्ति की तिथि की एनएवी।
अभ्यर्पण	हमारे द्वारा लिखित रूप से अभ्यर्पण अनुरोध की प्राप्ति की तिथि का एनएवी।
मृत्यु दावा	मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ हमारे द्वारा लिखित रूप से मृत्यु की सूचना की प्राप्ति की तिथि की एनएवी।
निपटान विकल्प	निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान की तिथि की एनएवी।
परिपक्वता हितलाभ	परिपक्वता की तिथि की एनएवी।
समापन	समाप्ति की तिथि की एनएवी।
पॉलिसी में परिवर्तन	पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि की एनएवी।
निश्चित अभिवृद्धि	आवंटन की तिथि की एनएवी

ii. वर्तमान में, आईआरडीएआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार यह कट–ऑफ समय दोपहर 3.00 बजे है और इस संबंध में परिवर्तन आईआरडीएआई के निर्दे शानुसार होंगे। नए व्यवसाय की स्थिति में एनएवी निर्धारण हेतु दोपहर 3.00 बजे का यह कट–ऑफ समय जोखिम स्वीकृति की तिथि, अर्थात पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि के संदर्भ में होगा।

iii. यदि निम्नलिखित के संबंध में लेनदेन का अनुरोध कट–ऑफ समय से पहले प्राप्त होता है:

ए) निगम के किसी भी शाखा कार्यालय में एकल प्रीमियम भुगतान (ऑफ़लाइन विक्रय के लिए लागू) या किसी भी डिजिटल भुगतान विधि द्वारा (ऑनलाइन विक्रय के लिए लागू); या

बी) निगम की सेवा प्रदाता शाखा द्वारा अन्य लेनदेन; या

सी) किसी भी समय जब एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर सेवा अनुरोधों का सफल पंजीकरण उपलब्ध कराया जाएगा उस दिन की समापन एनएवी लागू होगी।

iv. यदि निम्नलिखित के संबंध में लेनदेन का अनुरोध कट–ऑफ समय के बाद प्राप्त होता है:

ए) निगम के किसी भी शाखा कार्यालय में एकल प्रीमियम भुगतान (ऑफ़लाइन विक्रय के लिए लागू) या किसी भी डिजिटल भुगतान विधि द्वारा (ऑनलाइन विक्रय के लिए लागू); या

बी) निगम की सेवा प्रदाता शाखा द्वारा अन्य लेनदेन; या

सी) किसी भी समय जब एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर सेवा अनुरोधों का सफल पंजीकरण उपलब्ध कराया जाएगा अगले व्यावसायिक दिन की समापन एनएवी लागू होगी।

ऑफलाइन विक्रय की स्थिति में, स्थानीय/सीटीएस/स्पीड क्लियरिंग हाउस में प्रतिभागिता कर रहे बैंक पर आहरित सीटीएस 2010 चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम को ही स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाला चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. इस योजना के अंतर्गत शुल्क

ए) प्रीमियम आवंटन प्रभार:

यह प्राप्त प्रीमियम से शुल्कों के प्रति विनियोजित प्रीमियम का एक प्रतिशत है। आवंटन दर के रूप में ज्ञात शेष प्रीमियम का वह हिस्सा होता है जिसका पॉलिसी में चयनित फंड की यूनिट्स खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है।

आवंटन प्रभार इस प्रकार है:

- ऑफलाइन विक्रय के लिए: 3.30%
- ऑनलाइन विक्रय के लिए: 1.50%

बी) मृत्युदर प्रभार:

मृत्युदर प्रभार जीवन बीमा सुरक्षा की आयु विशिष्ट लागत है और यह यूनिट फंड मूल्य में से यथोचित संख्या में यूनिट्स निरस्त कर प्रत्येक पॉलिसी माह की शुरुआत में लिया जाएगा। मासिक प्रभार वार्षिक मृत्युदर प्रभार का बारहवाँ भाग होगा।

यह प्रभार जोखिम राशि, यानी प्रभार की कटौती की तिथि को अन्य सभी प्रभारों की कटौती के बाद मूल बीमा राशि और यूनिट फंड मूल्य के बीच के अंतर पर निर्भर करेगा, और इसकी कटौती केवल तभी की जाएगी, जब कटौती की तिथि पर मूल बीमा राशि यूनिट फंड मूल्य से अधिक हो।

आंशिक निकासी के मामले में, मूल बीमा राशि, मृत्युदर प्रभार की कटौती की तिथि से तुरंत पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई सभी आंशिक निकासियों की सीमा तक कम हो जाएगी।

स्वस्थ जीवन के संबंध में कुछ आयु वर्गों के लिए जोखिमाधीन प्रति रु. 1000/– की राशि के लिए प्रति वर्ष मृत्यु दर निम्नानुसार है:

आयु	25	35	45	50
रु.	1.26	1.62	3.48	5.99

सी) दुर्घटना हितलाभ प्रभार (यदि एलआईसी का संबद्ध एक्सीडेंट बेनफिट राइडर (चुना गया है) :

दुर्घटना हितलाभ प्रभार दुर्घटना हितलाभ बीमा सुरक्षा की लागत है, यदि एलआईसी का संबद्ध एक्सीडेंट बेनफिट राइडर (चुना गया है)। यह प्रभार यूनिट फंड से यथोचित संख्या में यूनिटों को निरस्त कर प्रत्येक माह की शुरुआत में लिया जाएगा। यह एलआईसी के संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर (यदि चुना गया है) की लागत कवर करने के लिए यूनिट फंड मूल्य में से यथोचित संख्या में यूनिट्स निरस्त कर प्रत्येक पॉलिसी माह की शुरुआत में लगाया जाने वाला कर है। एक समस्तरीय वार्षिक प्रभार प्रति पॉलिसी वर्ष रु. 0.40 प्रति हजार दुर्घटना लाभ बीमा राशि की दर से होगा। यदि बीमित व्यक्ति अर्धसैनिक बलों से भिन्न किसी भी पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी में लगा है और उसने पुलिस ड्यूटी में रहते हुए यह कवर चुना है, तो समस्तरीय वार्षिक प्रभार प्रति पॉलिसी वर्ष रु. 0.80 प्रति हजार दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि की दर से होगा। मासिक प्रभार वार्षिक दुर्घटना हितलाभ प्रभार का बारहवाँ भाग होगा।

डी) अन्य प्रभार:

पॉलिसी की अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रभारों को काटा जाएगा:

i. फंड प्रबंधन प्रभार : यह आस्तियों के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाने वाला प्रभार है और नेट एसेट वैल्यू का समायोजन कर विनियोजित किया जाएगा। फंड प्रबंधन प्रभार (एफएमसी) निम्नानुसार होगा:

- उपलब्ध सभी चार फंडों अर्थात बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड और ग्रोथ फंड के लिए यूनिट फंड का 1.35% प्रति वर्ष
- ''बंद पॉलिसी फंड'' के लिए यूनिट फंड का 0.50% प्रति वर्ष।

यह एनएवी की गणना करते समय लगाया जाने वाला प्रभार है, जो दैनिक आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार घोषित एनएवी शुद्ध एफएमसी के बाद नेट होगी।

ii. स्विचिंग प्रभार: यह उत्पाद के भीतर उपलब्ध एक अलग फंड से दूसरे फंड में स्विचिंग करने पर लगाया जाने वाला प्रभार है। यह प्रति स्विचिंग प्रभार, यदि कोई हो, स्विचिंग करने के समय लगाया जाएगा। किसी दिए गए पॉलिसी वर्ष के दौरान निःशुल्क 4 स्विचिंग की अनुमति दी जाएगी। उक्त वर्ष में बाद की स्विचिंग पर 100 रूपए प्रति स्विचिंग का स्विचिंग प्रभार लगाया जाएगा। यह प्रभार यूनिट फंड मूल्य में से यथोचित संख्या में यूनिटों को निरस्त कर वसूल किया जाएगा।

iii. आंशिक निकासी प्रभार: यह फंड की आंशिक निकासी के समय यूनिट फंड मूल्य पर लगाया जाने वाला प्रभार है और रु. 100/- की एक सम राशि होगा, जो आंशिक निकासी होने की तिथि पर यूनिट फंड मूल्य में से यथोचित संख्या में यूनिट्स रद्द कर काटा जाएगा।

iv. बंद होने पर प्रभार: यह प्रभार पॉलिसी बंद होने की तिथि तक की स्थिति के अनुसार यूनिट फंड मूल्य से यथोचित संख्या में यूनिट्स रद्द कर लगाया जाएगा। लागू बंद होने का प्रभार इस प्रकार है:

जहाँ पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी बंद कर दी जाती है	रु. 3,00,000 तक एकल प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए बंद होने का प्रभार	रु. 3,00,000 से अधिक एकल प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए बंद होने का प्रभार
1	अधिकतम रु.3000/– के अधीन (एसपी या एफवी) 2%* से कम	अधिकतम रु.6000/– के अधीन (एसपी या एफवी) 1%* से कम
2	अधिकतम रु.2000/– के अधीन (एसपी या एफवी) 1.5%* से कम	अधिकतम रु.5000/– के अधीन (एसपी या एफवी) 0.70%* से कम
3	अधिकतम रु.1500/– के अधीन (एसपी या एफवी) 1.00%* से कम	अधिकतम रु.4000/– के अधीन (एसपी या एफवी) 0.50%* से कम
4	अधिकतम रु.1000/– के अधीन (एसपी या एफवी) 0.5%* से कम	अधिकतम रु.2000/– के अधीन (एसपी या एफवी) 0.35%* से कम
5 और उसके बाद	शून्य	शून्य

जहाँ

एसपी – एकल प्रीमियम है

एफवी – पॉलिसी बंद होने की तिथि तक की स्थिति के अनुसार यूनिट फंड मूल्य है।

“पॉलिसी बंद करने की तिथि” ये तिथि वह होगी, जिस पर बीमित व्यक्ति और पॉलिसीधारक से पॉलिसी के अभ्यर्पण के बारे में सूचना प्राप्त होगी।

v. कर प्रभार: कर प्रभार, यदि कोई हो, समय–समय पर लागू प्रचलित कर कानूनों और कर की दर के अनुसार होंगे।

इस योजना पर लागू सभी या किसी भी प्रभार पर कर प्रभार भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले प्रचलित कर कानूनों/अधिसूचना आदि के अनुसार लगाया जाएगा, जिसमें पॉलिसीधारक को किसी तरह से संदर्भित नहीं किया जाएगा।

vi. विविध प्रभारः यह अनुबंध के दौरान किसी भी परिवर्तन के लिए लगाया जाने वाला शुल्क है, जैसे कि पॉलिसी जारी होने के बाद दुर्घटना लाभ राइडर के अनुदान में बदलाव, और रु.100/– की एक निश्चित राशि होगा जो यूनिट फंड मूल्य में से यथोचित संख्या में यूनिट्स रद्द कर काटा जाएगा और कटौती पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि पर की जाएगी।

ई) प्रभारों में संशोधन करने का अधिकार: निगम मृत्युदर प्रभार और दुर्घटना हितलाभ प्रभार को छोड़कर उपरोक्त सभी या किन्हीं प्रभारों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रभारों में संशोधन उचित अनुमति से और पॉलिसीधारकों को 3 महीने की सूचना देने के बाद प्रत्याशी प्रभाव से किया जाएगा, जिसे हमारी वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

हालाँकि प्रभार समीक्षा योग्य हैं, लेकिन आईएआरडीए् द्वारा समय–समय पर घोषित अनुसार अधिकतम प्रभारों के अधीन होंगे। प्रभारों की वर्तमान सीमा इस प्रकार है: फंड प्रबंधन प्रभार आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा जो वर्तमान में ऊपर अनुच्छेद 7.डी.i की उल्लिखित भांति है।

- आंशिक निकासी प्रभार प्रत्येक निकासी पर रु. 500/– से अधिक नहीं होगा।

- बदलाव करने का प्रभार प्रति बदलाव रु. 500/– से अधिक नहीं होगा।
- विविध प्रभार हर बार परिवर्तन का अनुरोध करने पर 500/– से अधिक नहीं होगा।
- बंद होने के शुल्क आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होंगे, जो वर्तमान में अनुच्छेद 8.डी.iv के अंतर्गत निर्दिष्टानुसार शुल्कों के समान हैं।

यदि आप प्रभारों में संशोधन से सहमत नहीं है तो आपके पास यूनिट फंड मूल्य को निकालने का विकल्प होगा। यदि प्रभारों में ऐसा संशोधन 5 वर्ष की लॉक–इन–अवधि के दौरान किया जाता है, तो 5 वर्ष की लॉक–इन–अवधि निकासी की अनुमति लॉक–इन–अवधि की समाप्ति के बाद ही दी जाएगी।

8. अभ्यर्पण

पॉलिसी का पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय अभ्यर्पण किया जा सकता है। अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, निम्नानुसार देय होगा:

यदि पॉलिसी का 5 वर्ष की लॉक–इन–अवधि के दौरान अभ्यर्पण किया जाता है:

यदि कोई आप 5 वर्ष की लॉक–इन–अवधि के दौरान पॉलिसी के अभ्यर्पण के लिए आवेदन करता है, तो अनुच्छेद 7.डी.iv में निर्दिष्ट अनुसार बंद करने के शुल्क काटने के बाद यूनिट फंड मूल्य को मौद्रिक राशि में परिवर्तित किया जाएगा, जो बंद करने के शुल्क की कटौती के बाद यूनिट फंड में युनिटों की संख्या गुणित अभ्यर्पण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि पर अंतर्निहित फंड प्रकार की एनएवी के गुणनफल के बराबर होगी। यह मौद्रिक राशि, मौद्रिक राशि को युनिटों में परिवर्तित करके बंद पॉलिसी फंड में स्थानांतरित कर दी जाएगी। बंद पॉलिसी फंड में स्थानांतरित युनिटों की संख्या, मौद्रिक राशि भागित अंतरण की तिथि पर बंद पॉलिसी फंड की एनएवी का भागफल होगी। इस पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय निम्नांकित अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट अनुसार, 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के समापन पर देय होंगी।

अभ्यर्पण की तिथि के बाद लेकिन 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि की समाप्ति से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, इस पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की राशि नामिती/वैधानिक उत्तराधिकारी को तुरंत देय होगी।

यदि पॉलिसी का 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के बाद अभ्यर्पण किया जाता है:

यदि कोई आप 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि की समाप्ति के बाद पॉलिसी के अभ्यर्पण के लिए आवेदन करता है, तो अभ्यर्पण की तिथि पर यूनिट फंड मूल्य देय होगा। पॉलिसी के अंतर्गत कोई समाप्ति प्रभार नहीं होगा।

यहाँ तक कि यदि 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान भी पॉलिसीधारक से पुन:स्थापन का अनुरोध प्राप्त होता है तो भी अभ्यर्पण की गई पॉलिसी के पुन:स्थापन की अनुमति नहीं होगी।

9. बंद पॉलिसी फंड की आय की गणना

इस पॉलिसी के बंद पॉलिसी फंड की आय बंद पॉलिसी फंड मूल्य या गारंटीकृत मौद्रिक राशि में से जो भी अधिक होगा, वह होगी। गारंटीकृत मौद्रिक राशि बंद पॉलिसी फंड में गारंटीकृत ब्याज दर पर अंतरित मौद्रिक राशि का संचय है। गारंटीकृत ब्याज दर उस तिथि से अर्जित होगी जब मौद्रिक राशि बंद पॉलिसी फंड में अंतरित की जाती है, उस तिथि तक, जब पॉलिसी मृत्यु या अभ्यर्पण के मामले 5 साल में लॉक–इन अवधि समाप्त होने पर बंद पॉलिसी फंड से निर्गमित होती है। वर्तमान में यह गारंटीकृत ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है और यह आईआरडीएआई द्वारा घोषित किए अनुसार समय–समय पर परिवर्तित हो सकती है।

10. अनिवार्य समापन

यदि पॉलिसी कम से कम 5 वर्ष तक चली है और यूनिट फंड में शेष राशि प्रासंगिक प्रभारों की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पॉलिसी अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाएगी और यूनिट फंड में शेष राशि, यदि कोई हो, पॉलिसीधारक को वापस कर दी जाएगी।

11. अन्य विशेषताएँ

ए) जोखिम कवर में वृद्धि/कमी: प्लान के अंतर्गत लाभ में किसी वृद्धि/कमी की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, चालू पॉलिसी के अंतर्गत, पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय एलआईसी की लिंक्ड दुर्घटना लाभ राइडर को रद्द किया जा सकता है। हालाँकि, एक बार राइडर रद्द कर दिए जाने के बाद, उसे बाद में बहाल नहीं किया जा सकता है।

बी) इस प्लान के अंतर्गत किसी टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. जोखिम कारक और अस्वीकरण

i) एलआईसी का निवेश प्लस पारंपरिक बीमा उत्पादों से अलग एक यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा उत्पाद है।

ii) यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसियों में भुगतान की गई प्रीमियमें पूंजी बाजार से जुड़े निवेश जोखिमों के अधीन होती हैं और फंड के प्रदर्शन और पूँजी बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर यूनिटों का एनएवी घट या बढ़ सकती है, और बीमाधारक अपने निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है।

iii) भारतीय जीवन बीमा निगम केवल बीमा कंपनी का नाम है और एलआईसी का निवेश प्लस केवल यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा अनुबंध का नाम है और यह किसी भी तरह से अनुबंध की गुणवत्ता, उसकी भावी संभावनाओं या प्रतिफल को नहीं दर्शाता है।

iv) कृपया अपने बीमा अभिकर्ता या मध्यस्थ या बीमाकर्ता के पॉलिसी दस्तावेज़ से संबंधित जोखिमों और लागू शुल्कों के बारे में जान लें।

v) इस अनुबंध के अंतर्गत पेश किए गए विभिन्न फंड प्रकार, फंडों के नाम हैं और किसी भी तरह से इन योजनाओं की गुणवत्ता, उनकी भविष्य की संभावनाओं और प्रतिफल को नहीं दर्शाते हैं।

vi) पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ समय-समय पर लागू कर कानूनों और अन्य वित्तीय अधिनियमों के अधीन हैं।

vii) आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित प्रपत्र डी02 में अपनी पॉलिसी के अंतर्गत यूनिटों का वास्तविक मूल्य निगम की वेबसाइट (www.licindia.in) पर उपलब्ध एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर सुरक्षित लॉगिन कर देखा जा सकता है।

13. निशुल्क अवलोकन अवधि

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियमों और शर्तों" से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की तिथि से 30 दिनों के भीतर, आपत्तियों के कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी वापस की जा सकती है। पॉलिसी प्राप्त होने पर निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और वापस की जाने वाली राशि निम्नानुसार होगी:

अनुरोध की तिथि तक की स्थिति के अनुसार यूनिट फंड में यूनिट्स का मूल्य

इसमें जोड़ेंगे अनावंटित प्रीमियम (प्राप्त प्रीमियम से गुणा किए गए आवंटन शुल्क के बराबर)

और जोड़ेंगे आनुपातिक मृत्यु और दुर्घटना हितलाभ प्रभार, यदि कोई हो, निशुल्क

अवलोकन चुनने की तिथि से लेकर पॉलिसी माह के अंत तक की शेष अवधि के लिए, जिसके लिए संबंधित प्रभार काटा गया है,

और जोड़ेंगे इस पर काटा गया कर प्रभार,

और इसमें से घटाएँगे चिकित्सीय परीक्षण और विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, की वास्तविक लागत,

और घटाएँगे प्रति हजार मूल बीमा राशि और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि, यदि कोई हो, पर रु. 0.20 की दर से स्टाम्प ड्यूटी।

14. ऋण

इस योजना के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिया जाएगा।

15. पॉलिसी का समापन

यह पॉलिसी निम्नांकित में से कोई भी घटना होते ही तुरंत और स्वत: समाप्त हो जाएगी:

ए) यदि मृत्यु के लिए निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह तिथि जिस पर मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि जिस पर इस पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण लाभों का निपटान कर दिया जाता है; या

सी) परिपक्वता की तिथि; या

डी) यदि मृत्यु की स्थिति में चुना जाता है जो निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई) निपटान विकल्प अवधि प्रारंभ होने के बाद नामिति/लाभार्थी की मृत्यु पर; या

एफ) अनुच्छेद 10 में निर्दिष्ट अनिवार्य समाप्ति पर या;

जी) अनुच्छेद 16 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति में।

16. कुछ स्थितियों में जब्ती

यह पाए जाने पर कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणापत्र और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है, तो और ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

17. नामांकन और समनुदेशन

नामांकन समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार होगा।

समनुदेशन समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार होगा।

18. कर

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

19. अपवर्जन

आत्महत्या: यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी आरंभ होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर आत्महत्या कर लेता है, तो पॉलिसीधारक का नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु की सूचना की तिथि पर उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य का अधिकारी होगा। निगम द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

मृत्यु की तिथि के पश्चातवर्ती वसूल किए गए फंड प्रबंधन शुल्क (एफएमसी) और फंड प्रबंधन शुल्क पर लगाए गए कर के अलावा किसी भी शुल्क और उस पर लगाए गए कर प्रभारों को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु की सूचना की तिथि पर उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य में वापस जोड़ दिया जाएगा। मृत्यु की तिथि के बाद जोड़ी गई किसी भी गारंटीड अभिवृद्धि को यूनिट फंड से वसूल किया जाएगा।

यह अनुभाग प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम होने की स्थिति में लागू नहीं होगा और अनुच्छेद 2.(ए) में उल्लेख किए अनुसार मृत्यु हितलाभ देय होगा।

20. नमूने हेतु उदाहरण

30 वर्षीय पुलकित 20 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए 1,25,000/- रूपए की एकमुश्त राशि का भुगतान कर एलआईसी की निवेश प्लस पॉलिसी लेने का निर्णय लेते हैं। वे निम्नांकित दो विकल्पों में से मृत्यु हितलाभ बीमा सुरक्षा चुन सकते हैं:

ए) विकल्प 1: मूल बीमा राशि 1.25* एकल प्रीमियम है।

बी) विकल्प 2: मूल बीमा राशि 10* एकल प्रीमियम है।

ए) **विकल्प 1: मूल बीमा राशि 1.25* एकल प्रीमियम है।**

यदि पुलकित विकल्प 1 चुनते हैं, तो अनुमानित निवेश प्रतिफल के आधार पर उपलब्ध विभिन्न हितलाभ नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे:

पॉलिसी अवधि की समाप्ति (वर्ष)	प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष)	गारंटीड अभिवृद्धियों से पहले फंड मूल्य	गारंटीड अभिवृद्धियाँ (रूपए में)	गारंटीड अभिवृद्धियों के बाद फंड मूल्य (रूपए में)	बीमा राशि (रूपए में)	देय मृत्यु हितलाभ (रूपए में)
6	@4 %	140868	3750	144618	144618	156250
	@8 %	176829	3750	180579	180579	180579
15	@4 %	188059	6250	194309	194309	194309
	@8 %	326766	6250	333016	333016	333016
20	@4 %	221059	7500	228559	228559	228559
	@8 %	457544	7500	465044	465044	465044

इस प्रकार, परिपक्वता की तिथि पर, पुलकित का परिपक्वता हितलाभ निम्नानुसार होगा:

निवेश की दर 4% प्रति वर्ष	• रु. 2,28,999/-
निवेश की दर 8% प्रति वर्ष	• रु. 4,65,044/-

जहाँ 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की अनुमानित दर पर शुद्ध प्रतिफल **6.79%** है।

बी) **विकल्प 2: मूल बीमा राशि 10* एकल प्रीमियम है।**

यदि पुलकित विकल्प 2 चुनते हैं, तो अनुमानित निवेश प्रतिफल के आधार पर उपलब्ध विभिन्न हितलाभ नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे:

पॉलिसी अवधि की समाप्ति (वर्ष)	प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष)	गारंटीड अभिवृद्धियों से पहले फंड मूल्य	गारंटीड अभिवृद्धियाँ (रूपए में)	गारंटीड अभिवृद्धियों के बाद फंड मूल्य (रूपए में)	बीमा राशि (रूपए में)	देय मृत्यु हितलाभ (रूपए में)
6	@4 %	130528	3750	134278	134278	1250000
	@8 %	165255	3750	169005	169005	1250000
15	@4 %	149142	6250	155392	155392	1250000
	@8 %	277853	6250	284103	284103	1250000
20	@4 %	151499	7500	158999	158999	1250000
	@8 %	366942	7500	374442	374442	1250000

इस प्रकार, परिपक्वता की तिथि पर, पुलकित का परिपक्वता हितलाभ निम्नानुसार होगा:

निवेश की दर 4% प्रति वर्ष	• रु. 1,58,999/-
निवेश की दर 8% प्रति वर्ष	• रु. 3,74,442/-

जहाँ 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की अनुमानित दर पर शुद्ध प्रतिफल **6.79%** है।

अस्वीकरण

i) यह उदाहरण ऑफलाइन खरीदी गई पॉलिसी के लिए धूम्रपान न करने वाले पुरुष/महिला मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसाय की दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है, जिसमें एलआईसी के संबद्ध एक्सीडेंटल डेथ बेनफिट राइडर का विकल्प न चुना गया हो।

ii) इस हितलाभ उदाहरण में माना गया है कि प्रतिफल की अनुमानित निवेश दर जो एलआईसी पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान अर्जित कर पाएगा 4% प्रति वर्ष या 8% प्रति वर्ष, जैसा भी मामला हो, होगी। प्रतिफल की अनुमानित निवेश दर गारंटीड नहीं है और इसकी कोई ऊपरी या निचली सीमा नहीं है जो आपको वापस मिल सकता है क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य में निवेश के प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

iii) उपरोक्त उदाहरण प्रचलित कर प्रभार को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिसमें समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है।

iv) इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ विभिन्न परिस्थितियों में हितलाभों के प्रवाह को समझ सके।

v) एलआईसी अपने अभिकर्ताओं/मध्यस्थों, कर्मचारियों और अधिकारियों को, सिवाय 4% और 8% की वृद्धि की उपरोक्त उदाहरणात्मक दर के "यूलिप" फंड के भविष्य के प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।

21. शिकायत निवारण तंत्र

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी हैं। जीआरओ के नाम और संपर्क विवरणों तथा शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए ग्राहक हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विजिट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायत का शीघ्र निवारण करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहकोन्मुखी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से पंजीकृत पॉलिसी धारक अपनी शिकायत को सीधे दर्ज करवा सकते हैं तथा उसकी स्थिति को देख भी सकते हैं। ग्राहक अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

जो भी दावाकर्ता मृत्यु दावे के अस्वीकृति के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनके पास अपने मामलों की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा निवारण समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के पास भेजने का विकल्प होता है। एक सेवा–निवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं है या हमसे 15 दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ग्राहक, निम्नलिखित किसी भी माध्यम से पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण प्रभाग में जा सकता है:

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर–(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल करें।

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई–मेल करके

iii) इंटरनेट के माध्यम से https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करके

iv) कूरियर/पत्र द्वारा शिकायत भेजने के लिए पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक की सुरक्षा और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सर्वे संख्या – 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गाची बावली, हैदराबाद 500032 (तेलंगाना)

लोकपाल का:

दावे से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत पर त्वरित मध्यस्थता प्रदान करते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे. वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है:

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I– इस उप–धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति ''धोखाधड़ी'' से आशय

बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है :–

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण ।।– बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानखबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभाथियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण– कोई व्यक्ति जो बीमा के अनुबंध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या हितलाभ जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है:

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता

का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41)

1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न धारा, समय–समय पर यथा संशोधित।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें। पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने के लिए, कृपया www.licindia.in. पर लॉग ऑन करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम्स के निवेश, राशियां लौटाना जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम

"भारतीय जीवन बीमा निगम" की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम,

केन्द्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512